ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4
देश में अब जल की बर्बादी और दुरूपयोग एक आपराधिक कृत्य

रविवारीय, 25 - 31 अक्टूबर 2020 वर्ष- दो, अंक-12, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।
greenrevolt2019@gmail.com
9798166006

शुभ नवरात्रि

ग्रीन रिवोल्ट परिवार की ओर से अपने सभी सुधि पाठकों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनायें। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

कांके डैम संरक्षण समिति के 20 दिनों के धरने के बाद पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की मुलाकात, मांगों पर आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया

जमीन पर बैठ कर की जमीन की बात

संवाददाता

रांची : आखिरकार पेयजल एवं स्वचछता मंत्री झारखंड, मिथिलेश ठाकुर ने कांके डैम बचाओं आंदोलनकारियों की बातें सुनी ।

दो अक्टूबर से कांके डैम बचाओ संरक्षण समिति के सैकड़ो आंदोलनकारी अमृतेश पाठक के साथ डैम के किनारे डटे हुये थे। इस बीच अखबारों और मीडिया में भी इनके आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती रहीं। अंततः 23 अक्टूबर को मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्वयं धरना स्थल पर पहुंच कर डैम किनारे के ग्रामीणों से बात की। और उनकी मांगो को सुना और आश्वासन दिया कि सभी मांगो पर सरकार गंभीरता से विचार कर इन्हें पूरा करेगी। साथ ही इस आंदोलन को समाप्त करने का आग्रह भी किया। मिथिलेश ठाकुर को समिति के सदस्य अमृतेश पाठक ने अन्य सहयोगियों मंटु मुंडा, शिवा मुंडा, रमेंश मुंडा, व अन्य के साथ मिल कर कांके डैम संरक्षण समिति का मांग पत्र सौंपा। मिथिलेश ठाकुर ने रांची नगर निगम के अधिकारियों को धरना स्थल पर ही मांगों के अनुसार कई निर्देश दिये। मौके पर हेहल सीओ भी पहुंचे हुये थे उन्हें भी सभी मांगों से अवगत करा कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिये।

उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुये कहा कि मैं स्वयं इस बड़े जलाशय की साफ सफाई और अतिक्रमणमुक्त कराने के लिये प्रयासरत हूं। और छठ महापर्व के पहले इसके चारो और साफ सफाई भी की जायेगी।

मिथिलेश ठाकुर आंदोलनकारियों के साथ खुद जमीन पर ही बैठे और कहा कि इन मांगो में कोई भी मांग मुश्किल नहीं है, सभी व्यावहारिक और जायज मांगे हैं मैं सब को पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं अभी जाकर मुख्यमंत्री से मिलुंगा और इन सभी मांगों से उन्हें अवगत करा कराउंगा, इन्हें पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं और झारखंड सरकार इन मांगों के प्रति बहुत ही संवदेनशील है। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही इन मांगों के सिलसिले में ग्रामीणों से मिलता और इन्हें इतने दिनों तक आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, पर मैं राजधानी से बाहर था। इस कारण यहां आने में विलंब हुआ। अब मैंने सारी वस्तुस्थित जान ली है तो इस पर आगे कार्य करूंगा।

क्या है कांके डैम संरक्षण समिति की मांगें!

- कांके डैम की चारो से घेराबंदी की जाये।
- कांके डैम में कचड़ा बहाने वाले सभी नालों को अविलंब बंद किया जाये।
- डैम में मछली पालन का ठेका और अधिकार डैम के आस पास के रहने वाले मछुआरों और डैम निर्माण में अपना जमीन देने वाले रैयतों को दिया जाये।
- डैम का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाये।
- डैम के किनारे असमाजिक तत्वों का जब तब जमावड़ा लगता है, जिससे यहां के लोगों को भय लगता है, इन तत्वों से निबटा जाये।

ग्रीन रिवोल्ट ने मंत्री से कांके डैम के एकमात्र नदी के संरक्षण की मांग की

जब मंत्री मिथिलेश ठाकुर ग्रामीणों की मांगो को सुन रहे थे, तब ग्रीन रिवोल्ट के प्रतिनिधि ने मिथिलेश ठाकुर को कांके डैम के एक मात्र जलस्त्रोत नदी के संरक्षण और उसे अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग भी रखी। ज्ञात हो कि कमड़े आश्रम होते हुये पंडरा पुल के नीचे बहती हुई एक नदी कांकेडैम में आकर मिल जाती है। जो आज पूरी तरह से अतिक्रमित है और कभी कांके डैम के लिये सबसे बड़ी जलस्त्रोत को काम करती थी। ग्रीन रिवोल्ट ने अपना प्रथम अंक भी इस नदी पर ही प्रकाशित किया था। मंत्री ने इस पर संज्ञान लेने की बात कही है।

अड़चनें भी बहुत हैं

आंदोलनकारियो की मांग पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने आश्वासन तो दे दिया है, पर सभी मांगों पर अमल करने में बहुत सारी अड़चनें भी हैं।

कांके डैम की घेरेबंदी, इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के काम में कोई खास बाधा तो नहीं है, पर यहां के ग्रामीणों को ही डैम में मछली पालन का अधिकार देने में सरकारी नियम कानून का मकड़जाल आड़े आ सकता है ?वहीं कांके रोड के रसूखदार अतिक्रमणकारियों को हटाना और डैम में आकर गिरने वाले गंदे नालों को रोकना भी चुनौती होगी, क्योंकि इन नालों के पानी को बहाने का वैकल्पिक इंतजाम अब तक नहीं हो सका है।

फसल अवशेष जलाये नहीं खाद बनाये किसान

डॉ. राकेश कुमार
(मृदा वैज्ञानिक बीएयू)

फसल अवशेष प्रबंधन

रांची : फसल कटाई के बाद बचे हुए डंठल तथा गहराई के बाद बचे हुए पुआल, भूसा, तना तथा जमीन पर पड़ी हुई पत्तियों आदि को फसल अवशेष कहा जाता है। खेतों में पड़े फसल अवशेष का प्रबंधन किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जबकि किसानों को अपनी खेती योग्य भूमि की सेहत, मानव व पशुओं की सेहत का ख्याल रखने में इनका प्रबंधन करना आज की जरूरत बन गयी है।

देश में सालाना करीब 630-635 मि। टन फसल अवशेष पैदा होता है। इनमे 58 प्रतिशत धान्य फसलों,17 प्रतिशत गन्ना, 20 प्रतिशत रेशा वाली फसलों तथा 5 प्रतिशत तिलहनी फसलों से होता है। देश में करीब 10 प्रतिशत किसान ही अवशेषों का प्रबन्धन कर रहे हैं। बहुतायत किसान फसल अवशेष प्रबन्धन की जानकारी से अनभिज्ञ हैं।

बीएयू मृदा वैज्ञानिक डॉ राकेश कुमार बताते है कि बढ़वार में पौधों को 16 पोषक तत्वों में से 95 प्रतिशत भाग कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन के रूप में पौधों को प्रकृति से मिलता है। अन्य मुख्य तत्व नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, जिंक, आयरन, बोरॉन, मालिब्डेनम, कॉंपर व क्लोरीन आदि का उर्वरक व खाद के रूप में उपयोग होता है। जो पौधों के बढ़वार एवं उत्पादन बढ़ाने में सहायक होते हैं।

फसलों के जड़,तना,फूल,फल व दाना के बढ़वार में पोषक तत्व पौधों के जड़ों, पत्तियों एवं तनों द्वारा मिट्टी अथवा वातावरण से प्राप्त होता हैं। खरीफ व रबी फसलों की कटाई व मढ़ाई के समय जड़, तना, पत्तियों के पादप अवशेष भूमि के अंदर एवं भूमि के ऊपर उपलब्ध होते हैं। जिसे 20 कि।ग्रा। यूरिया प्रति एकड़ की दर से मिट्टी पलटने वाले हल / रोटावेटर से जुताई / पलेवा के समय खेत में मिला देने से फसल अवशेष 20-30 दिनों के भीतर जमीन में ही सड़ जाते हैं।

इस सड़े खाद का खेत में ही एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में अहम भूमिका होती है। खेत में पोषक तत्वों की बढ़ोत्तरी और कार्बनिक पदार्थ की बढ़ोत्तरी होने से मृदा जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। जो खेत की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं में लाभदायक है। अवशेष को मल्च के रूप में प्रयोग करने से मृदा जल संरक्षण व फसलों का खरपतवारों से बचाव होता है। मृदा के जीवांश का लगातार ह्रास को कम एवं जलधारण क्षमता व मृदा वायु संचार में बढ़ोत्तरी होती है। जिसका फसल उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।....शेष पेज 3 पर

रोजगार तालाब में सात प्रकार की मछलियां एक साथ पालें

आशीष कुमार

मीठे जल में तालाबों में एक साथ विभिन्न प्रजातियों की मछलियों के पालन को मिश्रित मत्स्य पालन कहा जाता है। लगभग सभी मत्स्य पालक मिश्रित मत्स्य पालन तो करते हैं परंतु इसमें सभी प्रकार की मछलियों का पालन नहीं कर पाते हैं। अधिक लाभ के लिए उचित होगा कि चार प्रकार की देसी मछलियां जिन्हें भारतीय मुख्य कार्प कहते हैं जिनमें रोहू, कतला, मृगल या नैनी और कलबासू का पालन करें । साथ-साथ तीन विदेशी मछलियाों जैसे ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प का भी पालन कर सकते हैं।

रोहू सबसे अधिक पसंद की जाने वाली मछली होती है और यह तालाब के बीच के सतह में पाई जाती है। इसकी वृद्धि प्रथम वर्ष में 600 से 800 ग्राम तक हो जाती है। कतला तालाब के ऊपर के सतह में पाई जाती है और इसकी वृद्धि दर रोहू से अधिक है। यह प्रथम वर्ष में 800 से 1250 ग्राम तक हो जाती है। मृगल तालाब के तल में रहने वाली मछली है और प्रथम वर्ष में

इसका वजन 600 से 800 ग्राम तक होता है। कलबासु रोहू जाति की एक प्रजाति है जो काले रंग की होती है तथा बहुत लोगों को इसका स्वाद बहुत पसंद है। इसकी वृद्धि भी प्रथम वर्ष में 600 से 800 ग्राम की होती है। विदेशी मछलियों में सिल्वर कार्प तालाब के ऊपरी सतह पर रहती है और प्रथम वर्ष में लगभग 3 किलो की हो जाती है। ग्रास कार्प तालाब के बीच के सतह पर रहती है और यदि इसको पसंदीदा भोजन जैसे कि घास गोभी का पत्ता, केला का पत्ता इत्यादि नियमित रूप से खिलाया जाए तो 1 वर्ष में इसका वजन 5 किलो तक हो सकता है। कॉमन कार्प तल में रहने वाली मछली है और सर्वभक्षी मछली है। पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने से प्रथम वर्ष में इसका वजन ढाई किलो तक हो जाती है।इस प्रकार इन सात प्रकार की मछलियों के पालन से किसान को लाभ प्राप्त होता है और स्थानीय लोगों को ताजी मछली मिलती है।

समस्या तब आती है जब किसान को इन सभी प्रकार की मछलियों के बीज नहीं मिलते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि सरकार के मत्स्य विभाग से संपर्क करके जो सभी प्रकार के बीज की आपूर्ति करते हैं वैसे बीज वितरक से संपर्क रखें और यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के बीज तालाब में संचय हो जाए। यहां पर यह ध्यान देने योग्य बात है की कॉमन कार्प मछली का बीज मार्च - अप्रैल महीने में ही मिलेगा, इसलिए कॉमन कार्प का संचयन मार्च - अप्रैल महीने में किया जाएगा और अन्य मछलियों का संचयन बरसात के मौसम में किया जाएगा।

मिश्रित मत्स्य पालन में यदि किसान भाई मछलियों को नियमित भोजन देने का ध्यान रखें, पानी की गुणवत्ता बनाए रखें और मछलियों को बीमारियों से बचा कर रखें तो प्रति एकड़ डेढ़ से 2 टन मछली का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और उनकी बिक्री करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

इस संबंध में यदि किसान भाई अधिक जानकारी चाहे तो मेरे नंबर या ईमेल पता पर संपर्क कर सकते हैं।

लेखक सेवानिवृत्त उपनिदेशक (मत्स्य विभाग) हैं
Ph. 9430783037
email:coomar2012@gmail.com

सिमरटोली गांव में निःशुल्क एनीमिया जांच शिविर का आयोजन

रांची : 20 अक्टूबर को सीसीएल सीएसआर के तहत सिमरटोली गांव में निःशुल्क एनीमिया जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 38 महिलाओं का जांच किया गया। जिसमें 30 प्रतिशत महिलायें एनीमिया ग्रसित पाई गई। जबकि बच्चों और पुरूषों का रिपोर्ट साधारण पाई गई। शिविर में कुल लाभुकों की संख्या 98 थी। चिकित्सकों ने गांव वालों को कोविड 19 से बचने के उपाय भी बतायें। एनीमिया ग्रसित महिलाओं को आवश्यक दवा एवं सलाह निःशुल्क दी गई।

सीसीएल के निदेशक ;कार्मिक विनय रंजन ने कहा कि कम्पनी झारखंड वासियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है एवं सीसीएल के सभी कमांड क्षेत्र में निरंतर ऐसे चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाता है।

राज्य प्रदूषण बोर्ड ने कहाः डेयरी और गोशालाओं को लेनी होगी अनुमति

संवाददाता

रांची : राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति नौ से ज्यादा पशुधन रख कर उससे व्यवसाय कर रहा है तो उसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। बोर्ड के इस आदेश के बाद राज्य में चलने वाले खटालों और गोशालाओं को कंसेट टू इस्टेब्लिशमेंट (सीटीइ)और कंसेट टू ऑपरेट (सीटीइओ) जैसी अनुमतियों को लेना होगा।

मई 2020 में ही एनजीटी ने इसके बाबत एक मामले की सुनवाई करते हुये राज्यों को इसका पालन करवाने का आदेश दिया था। अब राज्य प्रदूषण बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। बोर्ड ने गोशालाओं, खटालों और पशुपालकों को दो श्रेणियों में बांटा है जिसे ग्रीन कैटेगरी और ऑरेंज कैटेगरी नाम दिया गया है। ग्रीन कैटेगरी में सौ किलोलीटर से अधिक पानी खर्च खर्च करने वाली गोशालायें आयेंगी जिसमें घायल, विकलांग, बीमार पशुधन रखे जाते हैं। वहीं ऑरेंज कैटेगरी में डेयरी फार्म चलाने वालों को रखा गया है। इनसे गंदा पानी, गोबर, गैस निकलता है। शहर के कॉलोनियों में स्थित छोटे डेयरी फार्म वालों को भी सीटीओ और सीटीई लेना होगा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव राजन लोचन बख्शी ने कहा है कि सभी पशुपालक डेयरी संचालक इन नियमों का पालन करें और अपने पशुधन के अनुसार सीटीओ और सीटीई लें।

भारत में वन एवं उनका पर्यावरणीय महत्व

डॉ. कृष्ण कुमार मिश्र
एसोशिएट प्रोफेसर
होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र
टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान
(सम-विश्वविद्यालय)
मुंबई-400088

वनों का हमारे समाज तथा संस्कृति से सदियों पुराना गहरा रिश्ता रहा है। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों तथा लेखों में वनों की महत्ता का वर्णन खूब मिलता है। आज भी धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वृक्षों की पूजा होती है।

भारत में लगभग हर तरह के वन तथा विविध किस्म के पेड़-पौधे पाए जाते हैं। ये वन अनगिनत पक्षियों, जानवरों तथा कीट-पतंगों के लिए आवास स्थल प्रदान करते हैं। विश्व में हमारे देश की एक खास पहचान है। यह न सिर्फ भारत के भूगोल, इतिहास और संस्कृति के कारण है, बल्कि प्राकृतिक पारितंत्रों की महान विविधता के कारण भी है। भारत में कृषि के बाद इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा भूभाग वन हैं। भारत का 67830000 हेक्टेयर भूभाग वनों से ढँका हुआ है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.64 प्रतिशत है। हमारे देश के वनों में लगभग 45000 तरह की वनस्पतियां तथा 81000 तरह के जीव-जन्तु पाए जाते हैं। भारत के वनों की चित्रमाला अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह, पश्चिमी घाट और उत्तर-पूर्वी राज्यों से उत्तर में हिमालय के शुष्क अल्पाइन वनों तक फैली हुई है। इन दोनों के मध्य अर्द्धसदाबहार वर्षा वन, पर्णपाती मॉनसून वन, कँटीले वन, उपोष्ण-कटिबंधीय पाइन वन और निचले पहाड़ों के शीतोष्ण वन हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत का वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.27 प्रतिशत है।

वन किसी राष्ट्र की अमूल्य संपदा होते हैं। ये किसी देश की समृद्धि और सम्पन्नता के द्योतक होते हैं। वनों की आवश्यकता क्यों है, और इनका क्या पर्यावरणीय महत्व होता है, आज हर कोई इस बात से थोड़ा बहुत जरूर परिचित है। वन एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ वृक्षों का घनत्व बहुत अधिक हो। वन एक ही तरह के पेड़ों से भी भरे हो सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि उनमें काफी छोटे क्षेत्र में ही कई भिन्न-भिन्न प्रजातियाँ हों। भूमण्डल का करीब 9.4 प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढँका है जो कुल भूमि क्षेत्र का 30 प्रतिशत है। किसी समय धरती का कुल 50 प्रतिशत हिस्सा वनों से आच्छादित था। लेकिन मनमाने ढंग से की गई वनों की कटाई और उचित प्रबंधन के अभाव में वनों का इलाका तेजी से कम होता गया है।

वन हर उस जगह पाए जा सकते हैं जहाँ की जलवायु पेड़ पौधों के विकास में सहायक हो। यह हरे भरे क्षेत्र न सिर्फ अपार जैवविविधता के भण्डार और अनगिनत जीव जन्तुओं के निवास स्थान हैं अपितु सीधे तौर पर हमें लकड़ियाँ, ईंधन, बाँस और अन्य लाभदायक उत्पाद भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा पशुओं का चारा, उनके चरने का स्थान, तथा व्यावसायिक और औद्योगिक रूप से आवश्यक पदार्थ मिलते हैं। वनों से इमारती लकड़ी, चारकोल, कागज़ निर्माण के लिए सामग्री, गोंद, डाई, एवं अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वनों की बहुत ही अहम भूमिका होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें धरती पर पर्यावरण को बचाना है तो वनों को बचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याओं के पीछे वास्तव में तेजी से सिमटते जा रहे वनों का क्षेत्र ही मुख्य कारण है। इसलिए आज हमें अपने पूर्वजों की प्राचीन अरण्य संस्कृति से प्रेरणा लेने की जरूरत है जहां इंसानों का वनों तथा वन्यप्राणियों के साथ सहअस्तित्व हुआ करता था। वनों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष के तौर पर मनाया गया था।

भारत में 16 बड़े वनों के प्रकार हैं। जिसकी जानकारी हम अगले अंक में प्रकाशित करेंगे

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

कोरोना ने दिया सोंचने का मौका

हम भारतीय उत्सवधर्मी होते हैं। हमारे देश में सालो भर पर्व त्यौहारों का आयोजन होते हैं। इनमें शोर गुल, भीड़, भव्यता, दिखावे की होड़ भी रहती है। गौर से देखें तो हिंदू पर्व त्यौहारों का एक खास वैज्ञानिक और पर्यावरणीय उद्देश्य भी होता है। जैसे सावन में मांसाहार से परहेज ताकी उन महिनों में मछलियों एवं जलीय जीवों की संख्या बढ़े और बीमार मछलियों को खाने से हम बचें, बारिश के बाद साफ सफाई वाले त्यौहारों का आयोजन जिसमें इसी बहाने सभी जलाशयों की साफ सफाई हो जाती है, दीपावली में तेल के दिये जला कर हम दीपोत्सव के साथ ही कीट पतंगो की आबादी को भी नियंत्रित करते हैं और इस बहाने हम घरों की साफ सफाई भी कर देते हैं। पर समृद्धि आने के साथ ही भारतीयों ने अपने पर्व त्यौहारों के मूल उद्देश्यों को भूला कर इसे प्रदर्शन का मौका बना दिया। सबसे विशाल पंडाल, सबसे विशाल मुर्ति बनाना, बेतहाशा भीड़, शोर , कचड़ा और प्रदूषण पैदा करना हमारी फितरत सी बन गयी। इन सब कृत्यों को धर्म आस्था और उन्माद से जोड़ दिया गया। हाल के कुछ सालों मे पर्व त्यौहारों के बाद देश भर में प्रदूषण का खतरनाक स्तर तक बढ जाना आम बात है। राजधानी दिल्ली में तो इन पर्व त्यौहारों के बाद सांस लेना और देखना भी मुश्किल हो जाता है।

कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष पर्व त्यौहारों का रंग फीका हो गया है, भव्य पंडालों के निर्माण से और भीड़ से लोग बच रहे है। बाजारों में रौनक कम है। बेशक इस बार प्रदूषण और शोरगुल भी कम होगा। तो क्या हम मजबूरीवश ही कोरोना के कारण मिले इस मौके पर चिंतन नहीं कर सकते कि आगे से हम अपने पर्व त्यौहारों को भव्यता, शोर और प्रदर्शन के बजाय उसके मूल उद्देश्यों के साथ मनायें। उल्लास हो पर शोर, कचड़े, प्रदूषण से हम बचें। अव्यवस्था, दुर्घटना या अप्रिय घटनाओं को टालें और आनंद पूर्वक त्यौहारों का आयोजन करें।

अब ढेश भर में छठ महापर्व की तैयारियां प्रारंभ हो जायेंगी। सालो भर गंढगी का अंबार रहे सभी छोटे बड़े जलाशयों का सरकारी और जनसहयोग से साफ साफाई किया जायेगा। ये छठ महापर्व की ही ढेन है कि धर्म आस्था के साथ ही पर्यावरण की भी सेवा हो जाती है।

ढो ढिनों तक इन जलाशयों का कायाकल्प तो हो जाता है, पर पर्व समाप्त होते ही इन नढियों, तालाबों, घाटों को कचड़े से पाट कर हम सभी चल ढेते हैं , फिर अगल साल भर ये पूज्य घाट और जलाशय नर्क में डूबे रहते हैं।

कोरोना महामारी के कारण इस बार पर्व त्यौहारों में भीड़ कम है। अब हमें ये भी सोंचना चाहिये कि महामारी के कारण अगर हम संयमित होकर कम प्रदूषण, कचड़ा पैढा कर रहे हैं तो इसे भविष्य में भी बरकरार रखें। आखिर सालो भर जल, स्वच्छ हवा , और भोजन ढेने वाले पर्यावरण और प्रकृति की सेवा और ढेखभाल हम सिर्फ छठ महापर्व के ढो ढिनों में हीं क्यों करें ? हम पूरे वर्ष भर भी थोड़ा सा खयाल रखें तो हमारा पर्यावरण सढैव स्वच्छ रहेगा।

अपने वातावरण को तेजी से खो रहा है मंगल, धूल भरी आंधी है इसके लिए जिम्मेवार: इसरो

केवल मंगल ही नहीं पृथ्वी सहित सौर मंडल के अन्य ग्रह भी लगातार अपने वायुमंडल के बाहरी वातावरण को खो रहे हैं, लेकिन मंगल में यह बहुत तेजी से हो रहा है। मंगल ग्रह तेजी से अपने बाह्य वातावरण को खो रहा है। यह जानकारी इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन (मॉम) और नासा के मार्स आर्बिटर मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन (मावेन) द्वारा भेजी गई तस्वीरों में सामने आई है। वैसे तो मंगल ही नहीं पृथ्वी सहित सौर मंडल के अन्य ग्रह भी लगातार अपने वायुमंडल के बाहरी वातावरण को खो रहे हैं, लेकिन मंगल में यह बहुत तेजी से हो रहा है। जिसके लिए दो साल पहले जून-जुलाई 2018 में आए धूल के तूफान को जिम्मेवार माना जा रहा है, जिसके चलते मंगल का ऊपरी वायुमंडल गर्म हो गया था।

किसी ग्रह के बाहरी वातावरण का कितना नुकसान होगा यह उसके आकार और ऊपरी वायुमंडल के तापमान पर निर्भर करता है, चूंकि मंगल, पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है इसलिए यह बदलाव बड़ी तेजी से सामने आ रहा है। हालांकि नासा के अनुसार वातावरण को होने वाला यह नुकसान ऊपरी वायुमंडल के तापमान में आ रहे बदलावों पर भी निर्भर करता है। इसके शोध से जुड़े नतीजे हाल ही में अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च- प्लैनेट्स में प्रकाशित हुए हैं।

जून 2018 में मंगल पर आया था धूल का तूफान

भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, उसे 5 नवम्बर 2013 को मंगल पर भेजा था। जिसका एक मकसद मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल पर सौर हवा, विकिरण और बाह्य अंतरिक्ष की गतिशीलता का अध्ययन करना था। यह उपग्रह आज भी मंगल ग्रह की तस्वीरों को धरती पर भेज रहा है। इसरो द्वारा दी गई जानकारी से पता चला है कि "जून 2018 के पहले सप्ताह में मंगल पर एक बड़ा धूल का तूफान आया था, जो जुलाई 2018 के पहले सप्ताह तक बढ़ता ही चला गया था। इस तूफान ने वहां के ऊपरी वायुमंडल को काफी गर्म कर दिया था। जिस वजह से मंगल ग्रह का बाह्य वातावरण और अधिक ऊंचाई पर पहुंच गया था।

इंजीनियरों ने हानिकारक ई.कोलाई को पानी से हटाने की नई विधि की ईजाद

पानी से होने वाली बीमारी दूषित पानी पीने के कारण होती है, जिसे रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं द्वारा दूषित किया जाता है। पानी से होने वाले रोगों में पेचिश, हैजा, टाइफाइड बुखार और अन्य परजीवी संक्रमण शामिल है। दुनिया भर में हर साल दूषित पानी पीने से लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पानी के इस परजीवी संक्रमण को दूर करने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने एक नई तकनीक विकसित की है। विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने ग्राफिकल कार्बन नाइट्राइड और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पानी से घातक बैक्टीरिया, जैसे ई-कोलाई को हटाने के लिए एक बेहतर विधि ईजाद की है। टीम ने हानिकारक रोगजनक ई-कोलाई और एंटरोकोकस फेकलिस को 45 मिनट और 60 मिनट के भीतर नष्ट करने की विधि विकसित की है।

बीते साल देश में हर मिनट तीन लोग वायु प्रदूषण से मरे

पिछले दिनों जारी जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले साल 16,70,000 हज़ार मौतों का सीधा सम्बन्ध वायु प्रदूषण से था। घरेलू वायु प्रदूषण में तो कमी आयी है, मगर बाहर पीएम 2.5 का चिंताजनक स्तर बरकरार है। अब देश में सेहत के लिये वायु प्रदूषण बना गया है सबसे बड़ा खतरा

पिछले साल, वायु प्रदूषण के चलते हर मिनट, औसत, तीन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बात बच्चों की करें तो साल 2019 में हर पन्द्रह मिनट पर तीन नवजात अपने जन्म के पहले महीने ही इन ज़हरीली हवाओं की भेंट चढ़ गए। इन हैरान करने वाले तथ्यों का ख़ुलासा स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 नाम से एक वैश्विक रिपोर्ट से हुआ है।

नवजात बच्चों पर वायु प्रदूषण के वैश्विक प्रभाव को लेकर किये गये अपनी तरह के पहले अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2019 में भारत में जन्मे 116000 से ज्यादा नवजात बच्चे घर के अंदर और बाहर फैले वायु प्रदूषण की भेंट चढ़ गये। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 शीर्षक वाले इस वैश्विक अध्ययन के मुताबिक इनमें से आधी से ज्यादा मौतों के लिये बाहरी वातावरण में फैले पीएम 2.5 के खतरनाक स्तर जिम्मेदार हैं। बाकी मौतों का सम्बन्ध खाना बनाने के लिये कोयला, लकड़ी और उपले जलाये जाने से फैले घरेलू प्रदूषण से है।

लम्बे समय तक घरेलू और बाहरी प्रदूषण के सम्पर्क में रहने के परिणामस्वरूप वर्ष 2019 में भारत में लकवा, दिल का दौरा, डायबिटीज, फेफड़े के कैंसर, फेफड़ों की गम्भीर बीमारी और नवजातों की बीमारियों से 16 लाख 70 हजार मौतें हुईं। मतलब हर दिन औसतन 4500 लोगों की जान गयी इसके चलते। वहीँ बात नवजात बच्चों की करें तो 1,16,000 मौतों का मतलब हुआ हर पन्द्रह मिनट पर लगभग तीन बच्चे जान से हाथ धो बैठे इस प्रदूषण के असर के चलते। इन बच्चों में से ज्यादातर की मौत जन्म के वक्त वजन कम होने और समय से पहले पैदा होने के कारण हुई और इसके पीछे असल वजह थी वायु प्रदूषण। एसओजीए 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर वायु प्रदूषण सभी तरह के स्वास्थ्य जोखिमों में से सबसे बड़ा खतरा बन गया है। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट (एचईआई) द्वारा www.stateofglobalair.org वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी रिपोर्ट में भी यही बात कही गयी है।

इस रिपोर्ट में बाह्य वायु प्रदूषण के उच्च स्तर की मौजूदा चुनौती का खास तौर पर जिक्र किया गया है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल समेत दक्षिण एशियाई देश वर्ष 2019 में पीएम2.5 के उच्चतम स्तर के मामले में शीर्ष 10 देशों में रहे। इन सभी देशों में वर्ष 2010 से 2019 के बीच आउटडोर पीएम 2.5 के स्तरों में बढ़ोत्तरी देखी गई है। खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन का इस्तेमाल हालांकि कुछ कम हुआ है। वर्ष 2010 से अब तक घरेलू वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या में 5 करोड़ से ज्यादा की कमी आई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा अन्य कार्यक्रमों की वजह से स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बनाने में नाटकीय ढंग से विस्तार हुआ है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में इसका खासा असर देखा जा रहा है। अभी हाल ही में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ने विभिन्न शहरों और देश के अनेक राज्यों में वायु प्रदूषण के स्रोतों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं।

यह रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब दुनिया में कोविड-19 महामारी का जोर है। इस वायरस के कारण दिल और फेफड़ों के रोगों से जूझ रहे लोगों में संक्रमण और मौत का खतरा और भी बढ़ गया है। भारत में इस वायरस से अब तक 110000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि वायु प्रदूषण और कोविड-19 के बीच संबंध की मुकम्मल जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन वायु प्रदूषण और दिल तथा फेफड़े के रोगों के बीच संबंध जगजाहिर है। इसकी वजह से दक्षिण एशियाई तथा पश्चिम एशिया के देशों में लोगों के सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के संपर्क में आने से कोविड-19 के प्रभाव और भी ज्यादा नुकसानदेह होने की आशंका बढ़ रही है।

एचईआई के अध्यक्ष डैन ग्रीनबॉम ने कहा कि किसी भी नवजात शिशु की सेहत उस समाज के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है और इस रिपोर्ट से मिले ताजा सबूतों से यह पता चलता है कि खासकर दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका के देशों में नवजात बच्चों पर खतरा बहुत बढ़ गया है। हालांकि घरों में खराब गुणवत्ता का ईंधन जलाए जाने के चलन में धीमी रफ्तार से, मगर निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि ऐसे ईंधन से फैलने वाला वायु प्रदूषण अब भी नवजात बच्चों की मौत की प्रमुख वजह बना हुआ है।

नवजात बच्चों का पहला महीना उनकी जिंदगी का सबसे जोखिम भरा दौर होता है, मगर भारत में आईसीएमआर के हालिया अध्ययनों समेत दुनिया के विभिन्न देशों से प्राप्त वैज्ञानिक प्रमाण यह संकेत देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से बच्चे का वजन कम होता है और समय से पहले जन्म लेने की घटनाएं भी होती हैं। यह दोनों ही स्थितियां गंभीर गड़बड़ियों से जुड़ी हैं, जिनकी वजह से शैशवावस्था में ज्यादातर बच्चों की मौत होती है (वर्ष 2019 में 455000)। 'स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर' में इस साल प्रकाशित नए विश्लेषण में अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न कारणों से होने वाली नवजात बच्चों की मौत की कुल घटनाओं में से करीब 21% के लिए वातावरणीय और घरेलू वायु प्रदूषण जिम्मेदार है।

वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पना बालाकृष्णन ने कहा ''निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों के लिए गर्भावस्था से जुड़े प्रतिकूल परिणामों और नवजात बच्चों की सेहत पर वायु प्रदूषण के नुकसानदेह प्रभावों से निपटना बेहद जरूरी है। यह न सिर्फ कम वजन के बच्चों के पैदा होने बल्कि समय से पहले जन्म लेने और उनका ठीक से विकास ना होने के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह जोखिम वाले समूहों पर मंडराते खतरे को टालने के लिए रणनीतिक समाधान तैयार करने के लिहाज से भी जरूरी है।

द स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2020 की वार्षिक रिपोर्ट और उसकी संवादात्मक वेबसाइट को हेल्थ इफैक्ट्स इंस्टीट्यूट ने डिजाइन करने के साथ-साथ जारी भी किया है। इस काम में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (आईएचएमई2)और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने भी सहयोग किया है। इसमें बताए गए निष्कर्ष ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज (जीबीडी3) के बिल्कुल ताजा अध्ययन पर आधारित हैं। इस अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल द लांसेट ने 15 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित किया है। एचईआई, जीबीडी के वायु प्रदूषण से जुड़े हिस्से का नेतृत्व करता है। एचईआई की रिपोर्ट और वेबसाइट अपनी तरह के पहले दस्तावेज और वेबसाइट हैं, जहां वायु प्रदूषण के संपर्क और उनके कारण उत्पन्न बीमारियों के बोझ के अनुमानों को जीबीडी वायु प्रदूषण विश्लेषण में शामिल करके इसे सभी के लिए पूरी तरह उपलब्ध कराया गया है।

द्वारा : क्लाइमेट कहानी

स्वच्छ भारत मिशन से साल भर में हर परिवार को हुआ करीब 53,536 रुपए का फायदा

स्वच्छ भारत मिशन से होने वाला लाभ, उसपर 10 वर्षों के दौरान किये खर्च से तकरीबन 4.3 गुना ज्यादा है

ललित मौर्य

एक शोध से पता चला है कि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) से साल भर में हर घर को करीब 53,536 रुपए (727 डॉलर) का फायदा हुआ। जर्नल वर्ल्ड डेवलपमेंट में छपे इस अध्ययन के अनुसार यदि इस मिशन से हुए फायदे को देखें तो, 10 वर्षों के दौरान इस परियोजना पर जितना खर्च किया गया है वो उससे 4.3 गुना ज्यादा है।

शोध के अनुसार जहां इस मिशन के चलते गरीब तबके को इसकी लागत का करीब 2.6 गुना फायदा हुआ है, वहीं समाज को 5.7 गुना फायदा पहुंचा है। यदि इसकी लागत और लाभ के अनुपात को देखें तो दस सालों में घरेलू खर्च पर जो रिटर्न है वह लागत का 1.7 गुना है। जबकि समाज को इसकी लागत की तुलना में करीब 4.3 गुना ज्यादा पंहुचा फायदा है।

अध्ययन के अनुसार साल भर में हर घर को जो करीब 53,536 रुपए का लाभ पहुंचा है, उसका 55 फीसदी दस्त की घटनाओं में कमी के कारण स्वास्थ्य को हुए लाभ के रूप में है। जबकि इससे समय की जो बचत हुई है वो इसके लाभ के 45 फीसदी के बराबर है।

गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुवात अक्टूबर 2014 में की गई थी। यह मिशन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। जिसका उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को खत्म करना और बीमारियों से मुक्त करना था। जहां एक दशक से टोटल सैनिटेशन मिशन और निर्मल भारत अभियान के बावजूद 2015 में देश के 59 फीसदी ग्रामीण और 12 फीसदी शहरी घरों में शौचालय नहीं थे। साथ ही 52.2 करोड़ लोग खुले में शौच कर रहे थे। वहीं इस मिशन के अंतर्गत करीब 10,69,67,234 शौचालय बनाए गए थे। आज 6 लाख से ज्यादा गांव खुले में शौच जैसी कुरीति से मुक्त हो चुके हैं।

हर शौचालय पर किए गए करीब 29,162 रुपए (396 डॉलर) खर्च

इस मिशन में हर शौचालय के लिए औसतन 29,162 रुपए (396 डॉलर) का भुगतान किया गया था, जोकि प्राप्त सब्सिडी से दोगुना है। जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 9,352.4 रुपए (127 डॉलर) और परिवार की हिस्सेदारी 19,736 रुपए (268 डॉलर) की थी। इस 19,736 रुपए में से 18,926 रुपए (257 डॉलर) नकद और 810 रुपए (11 डॉलर) समय के रूप में खर्च किये गए थे। अध्ययन के अनुसार दो-तिहाई (69.5 फीसदी) से अधिक परिवारों को औसतन 13,476 रुपए (183 डॉलर) की सरकारी सब्सिडी मिली थी। जबकि इन परिवारों में से 63.8 फीसदी ने सरकारी सब्सिडी के ऊपर हर टॉयलेट पर औसतन 11,341 रुपए (154 डॉलर) का खर्च अपनी जेब से किया था। इस शोध के लिए किए गए सर्वे में 12 राज्यों के 10,051 ग्रामीण परिवार को शामिल किया गया था। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और असम शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में खुले में शौच करने वालों में से 90 फीसदी लोग इन्हीं राज्यों से थे।

स्पष्ट है कि मोदी सरकार की स्वच्छता को लेकर शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना, स्वच्छ भारत मिशन अपनी लागत की तुलना में बहुत ज्यादा फायदेमंद रही। इससे ने केवल लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचा, साथ ही समाज में एक कुरीति का रूप ले चुकी खुले में शौच की प्रथा का भी अंत हुआ है। यह न केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभदायक है, साथ ही स्वच्छता की इस नई सोच से महिलाओं के सम्मान में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में इस लाभ को बनाए रखने के लिए शौचालयों का प्रयोग आगे भी इसी तरह जारी रहना चाहिए। साथ ही इन शौचालयों का प्रबंधन भी ठीक तरह से होता रहे यह सुनिश्चित करने की जरुरत है, जिससे भविष्य में भी लोगों और समाज को इस मिशन का पूरा लाभ मिलता रहे। ***डाउन टू अर्थ से साभार***

मनुष्य की 9 में से 8 प्रजातियां हो चुकी हैं विलुप्त

तीन लाख साल पहले धरती पर मनुष्यों की 9 प्रजातियों का प्रादुर्भाव हुआ। वर्तमान में केवल एक प्रजाति ही बची है। इनकी एक प्रजाति थी होमो निअंडरथलेंसिस जिसे निअंडरथल्स के नाम से जाना जाता था। ये नाटे शिकारी थे और यूरोप के ठंडे मैदानों में रहने के अभ्यस्थ थे। इसी तरह डेनिसोवंस प्रजाति एशिया में रहती थी जबकि आदिम प्रजाति होमो इरेक्टस इंडोनेशिया और होमो रोडेसिएंसिस मध्य अफ्रीका में पाई जाती थी। इनके समानांतर कम ऊंचाई और छोटे मस्तिष्क वाली मनुष्यों की अन्य प्रजातियां भी थीं। दक्षिण अफ्रीका में होमो नलेदी, फिलीपींस में होमो लूजोनेंसिस, इंडोनेशिया में होमो फ्लोरेसिएंसिस (होबिट्स) और चीन में रहस्यमय रेड डियर केव प्रजाति के मानव होते थे।

जिस तरह से हमें बहुत जल्दी नई-नई प्रजातियों का पता चल रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी और प्रजातियों की जानकारी सामने आएगी। उपरोक्त प्रजातियां करीब 10 हजार साल पहले खत्म हो गईं। इन प्रजातियों की विलुप्ति को मास एक्सटिंग्शन यानी व्यापक विलुप्ति के रूप में देखा जा रहा है। क्या ये विलुप्ति प्राकृतिक कारकों जैसे ज्वालामुखी फटने, जलवायु परिवर्तन या एस्टोरॉइड प्रभाव का नतीजा थी? यह कहना मुश्किल है क्योंकि अब तक इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। मनुष्यों की विलुप्ति की टाइमिंग बताती है कि उनका गायब होना एक नई प्रजाति के उदय का नतीजा हो सकती है। जिसका नाम था होमो सेपियंस। आधुनिक मानव इसी प्रजाति से ताल्लुक रखता है।

नेट ज़ीरो इमारतें बनाना दुनिया के हर कोने में सम्भव

निर्माण के क्षेत्र में नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लिये अगर कुछ चाहिए, तो वो है बस पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की इच्छाशक्ति

दुनिया के लगभग हर हिस्से में नेट-ज़ीरो या नेट-ज़ीरो के करीब बिल्डिंग निर्माण के लिये जरूरी तमाम प्रौद्योगिकी और क्षमताएं पहले से ही मौजूद हैं। यह क्षमताएं विकसित तथा विकासशील, दोनों ही देशों में मौजूद हैं और इनकी लागत भी परंपरागत निर्माण परियोजनाओं की लागत के लगभग बराबर ही है।

यह बातें निर्माण क्षेत्र में जलवायु के अनुकूल वैश्विक नवाचार को लेकर हुए एक ताज़ा अध्ययन में सामने आयी हैं। एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज़ में छपे एक अध्ययन पत्र में कहा गया है कि बिजली, परिवहन और निर्माण क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के मामले में सबसे बड़ा अंतर पैदा करने की क्षमता है। यह शोध ऐसे समय पर किया गया है जब हमारे शहर और समाज सामूहिक रूप से यह एहसास करने लगे हैं कि लॉकडाउन के दौरान हम कैसे रहते हैं और कैसे अपने घर का मूल्यांकन करते हैं।

दुनिया भर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा संबंधी ग्रीन हाउस गैसों के 39% हिस्से के लिए निर्माण क्षेत्र ज़िम्मेदार है और निर्माण संबंधी सामग्री तैयार करने में निकलने वाले कार्बन पर डेढ़ डिग्री सेल्सियस कार्बन बजट के बाकी बचे हिस्से का लगभग आधा भाग तक खर्च हो सकता है।

निर्माण क्षेत्र में नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना जलवायु संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिहाज़ से बेहद जरूरी है। सतत निर्माण और ऊर्जा संबंधी रिट्रोफिट्स भी नौकरियों का एक स्रोत हैं और इन्हें कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान की जलवायु के प्रति मित्रवत भरपाई के प्रमुख हिस्से के तौर पर देखा गया है। और ऐसा नहीं है कि यह निर्माण तकनीकें सिर्फ अमीरों के लिए ही उपलब्ध हैं और उन्हीं के लिए ज़रूरी हैं। नेट ज़ीरो ऊर्जा वाली इमारतें कम आमदनी वाले परिवारों और गरीब इलाकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके कारण कूलिंग और हीटिंग दोनों के ही बिल में गिरावट आती है। इनसे परंपरागत मकानों के मुकाबले बिजली की मांग में 95% तक की बचत होती है।

इमारतों का डिज़ाइन तैयार करने, उनके तौर-तरीकों, निर्माण, संचालन और रिट्रोफिट्स के साथ-साथ निम्न कार्बन या यहां तक कि कार्बन स्टोरिंग निर्माण सामग्री तैयार करने में हाल में हुई प्रगति से पता चलता है कि निर्माण क्षेत्र खुद भी जलवायु के लिहाज से तटस्थ बन सकता है, लेकिन इस अध्ययन के लेखकों ने आगाह किया है कि मौजूदा प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए फौरी कदम उठाने होंगे।

सेंट्रल यूरोपीयन यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी के सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज की निदेशक और इस अध्ययन की सह लेखक डियाना अर्ज वोसात्ज ने कहा ''हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग और रिट्रोफिट्स के निर्माण की संभावनाएं दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। साथ ही हर तरह की जलवायु और हर किस्म की इमारत के निर्माण में ऐसा करना संभव है। अनेक स्थानों पर यह पहले से ही बाजार की वास्तविकता है और वह जलवायु के प्रति तटस्थ अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अगर हमें इस सदी के मध्य तक जीरो एनर्जी ग्लोबल बिल्डिंग सेक्टर तैयार करना है तो इस प्रौद्योगिकी को अभी से मानक बना कर काम करना होगा। अगर हम एक भी इमारत के निर्माण या रिट्रोफिट में अपनी नेट-जीरो प्रौद्योगिकी और उसके तौर-तरीकों का पूरा फायदा नहीं उठाते हैं तो हम एक अधिक गर्म जलवायु में बंध कर रह जाएंगे।''

नेट ज़ीरो एनर्जी निर्माणों के लिए सबसे बड़ी प्रौद्योगिकीय चुनौती वे बहुमंजिला वाणिज्यिक इमारते हैं जो गर्म और उमस भरे वातावरण में बनाई गई हैं। साथ ही ऐतिहासिक धरोहर वाली इमारतों को रिट्रोफिट करना भी बड़ी चुनौती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका भी समाधान मौजूद है। अब देखना यह है कि इच्छाशक्ति किसकी कितनी है। **निशांत सक्सेना द्वारा प्रेषित**

दिल्ली के नजफगढ़ में नाले को रेत और मिट्टी से भरने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

एनजीटी ने 7 अक्टूबर को डॉ. धर्मेंद्र सिंह द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया है मामला दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के न्यू गोपाल नगर का है जहां कुछ लोगों द्वारा रेत और मिट्टी से एक नाले को भरा जा रहा था, जिससे मलेरिया और डेंगू फैलने का खतरा पैदा हो गया है।

गौरतलब है कि इस मामले में एनजीटी ने 2 जुलाई को एक आदेश जारी किया था, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दक्षिण दिल्ली नगर निगम से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने कोर्ट को सूचित किया है कि उसने इस मामले में जरुरी कार्रवाई की थी इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है और कहा है कि इसमें आगे कोई और आदेश जारी करने की जरुरत नहीं है।

मध्य प्रदेश में हो रहे अवैध खनन के मामले में एनजीटी ने जारी किया आदेश

एनजीटी ने 9 अक्टूबर, 2020 को मध्य प्रदेश में हो रहे अवैध खनन के मामले में आदेश जारी कर दिया है इस आदेश में कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण होने के बावजूद वहां सरकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रेत खनन किया जा रहा था। अपने आदेश में एनजीटी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे किसी भी उद्देश्य के लिए रेत खनन किया जा रहा हो, उसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेना जरुरी है ऐसे में कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि वहां अवैध रेत खनन होता है तो स्थानीय प्रशासन और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

धान की परती भूमि में तीसी की खेती लाभकारी

बहुउपयोगी फसल तीसी की बाजार में काफी अधिक मांग

●

15 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक बुआई का उत्तम समय

●

कोलेस्ट्रोल, ह्रदय एवं गठिया रोग में लाभदायक व कैंसर अवरोधी गुण मौजूद

●

दिव्या व प्रियम किस्मों की उपज अच्छी एवं तेल की मात्रा ज्यादा

रांची : तीसी में 20 प्रतिशत प्रोटीन, 37 प्रतिशत वसा और 28 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट के अलावा ओमेगा- 3 की भरपूर मात्रा कोलेस्ट्रोल, ह्रदय एवं गठिया रोग में लाभदायक होती है। इसमें मौजूद लीग्नेन नामक तत्व कैंसर अवरोधी होता है। इन सभी गुणों के कारण देश - विश्व के बाजारों में गुणवत्तायुक्त तीसी की मांग काफी ज्यादा है। बेहतर बाजार मांग एवं मूल्य को देखते हुए तीसी फसल की खेती में काफी संभावनाए है।

बीएयू के तीसी फसल विशेषज्ञ डॉ. सोहन राम बताते है कि उन्नतशील किस्मों, वैज्ञानिक शस्य विधियों एवं उचित पौधा संरक्षण से तीसी की खेती किसी भी फसल से अधिक मुनाफा देने में सक्षम है। बहुअयामी औषधीय गुणों से युक्त तीसी की खेती झारखण्ड राज्य में पुनः प्रचलित हो रही है। राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में इसकी खेती 7 हजार हेक्टेयर होती थी। कृषि विभाग के प्रतिवेदन के मुताबिक वर्ष 2018-19 में 40 हजार हेक्टेयर में आच्छादन हुआ।

हाल में बिहार एवं झारखण्ड के 65 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की समीक्षा बैठक में तीसी फसल के रकबे में 18 प्रतिशत व उत्पादन में 20 - 25 प्रतिशत वृद्धि वैज्ञानिकों ने बताया है। ये बातें केवीके द्वारा कराये गये संकुल स्तरीय अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण प्रतिवेदन सामने आई।

बीएयू द्वारा विकसित किस्में- दिव्या (सिंचित) और प्रियम (असिंचित) को झारखण्ड एवं बिहार राज्य में किसानों ने काफी पसंद किया है। शोध में दिव्या व प्रियम के अलावा शेखर (सिंचित) किस्मों को प्रदेश में लाभप्रद पाया गया है। दिव्या और प्रियम की उपज क्षमता 12-16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की अपेक्षा शेखर से 7-9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है।

प्रदेश में प्राचीन काल से तीसी की खेती प्रचलित है। परंपरागत तरीके से कम उत्पादन एवं लाभ की वजह से किसान विमुख हो गए। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में हर वर्ष करीब 14।6 लाख हेक्टेयर धान खेती की भूमि परती रह जाती है। इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है। धान की परती पड़ी भूमि में कम सिचाई एवं कम नमी में तीसी (अलसी) की खेती को अपनाकर किसान भरपूर फायदा ले सकते हैं।

बीएयू ने आईसीएआर की अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना (तीसी) के तहत झारखण्ड की जलवायु के अनुकूल दो किस्मों 'दिव्या व प्रियम' को विकसित किया है। इसे केन्द्रीय बीज प्रमाणन एजेंसी ने अनुशंषित किया है। इस वर्ष दोनों किस्मों को सेंट्रल सीड चैन में शामिल किया है। समान जलवायु वाले अन्य राज्यों के शोध संस्थानों को राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए बीज उत्पादन हेतु करीब 3.1 क्विंटल प्रजनक बीज की आपूर्ति की गई है। नेशनल सीड कारपोरेशन को भी 3.1 क्विंटल प्रजनक बीज की आपूर्ति बीज उत्पादन हेतु की गई है।

विश्वविद्यालय द्वारा करीब 10 एकड़ भूमि में बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया गया। मृदा विज्ञान तथा शस्य विभाग में इन किस्मों पर अभिनव शोध अध्ययन जारी है। राज्य के विभिन्न जिलों में केवीके के माध्यम से अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण (एफएलडी) तथा गत वर्ष उलीहातू (खूँटी) में भी एफएलडी कार्यक्रम चलाया गया' विवि के मुख्य प्रक्षेत्रों के 6 एकड भूमि में प्रजनक बीज उत्पादन एवं 150 जीनोटाइप पर शोध आकलन किया जा रहा है। तीसी खेती के तकनीकों का किसानो के खेतों में तकनीकी हंस्तातरण से राज्य के सैकड़ो जनजातीय किसानों को तीसी की खेती से आय बढ़ने में मदद मिली है।

झारखण्ड में तीसी खेती का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक है। तीसी की बुआई में कतारों की दूरी 30 से।मी। और 20-25 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। असिंचित अवस्था में 30 किलो नेत्रजन, 20 किलो स्फूर, 20 किलो पोटाश एवं 20 सल्फर उर्वरक तथा सिंचित अवस्था में 80 किलो नेत्रजन, 30 किलो स्फूर, 20 किलो पोटाश एवं 20 किलो सल्फर उर्वरक की मात्रा अनुशंसित है। बुआई के एक माह बाद इसकी निकाई - गुडाई किया जाना आवश्यक होता हैं। 125 -130 दिनों की अवधि वाली इन किस्मों में 35-41 प्रतिशत तक तेल की मात्रा पाई जाती है।

डॉ सोहन राम बताते है कि प्रदेश में पैरा या उटेरा तकनीक से भी तीसी की खेती प्रचलित है। इसमें सिंचाई की कमी में धान की फसल पकने के समय खेत में ही तीसी बीज का छिडकाव किया जाता है। जो प्रदेश के दोन-1 और दोन-2 भूमि के लिए मुख्य विकल्प है। सबौर तीसी -1 एवं आरएलसी -143 किस्मों की पैरा या उटेरा तकनीक से खेती से 6-7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज लिया जा सकता है।

डॉ. सोहन राम का कहना है कि प्रदेश में तीसी फसल की अंतरवर्ती फसल के रूप में गेहूँ ,चना, मसूर, कुसुम, आलू, प्याज, फ्रेंचबीन और ईख के साथ भी खेती प्रचलित हैं। तीसी के साथ चना/मसूर की मिश्रित खेती (तीन-एक कतार में),गेहूँ मिश्रित खेती (चार-दो कतार में),राई मिश्रित खेती (पांच -एक कतार में) तथा आलू मिश्रित खेती (तीन -तीन कतार में) की जाती है।

समय पर निकाई-गुडाई एवं पौधा संरक्षण से बेहतर उत्पादन एवं लाभ लिया जा सकता है। पोषण सुरक्षा एवं किसानों की आय दुगुनी करने में तीसी की खेती एक सशक्त विकल्प साबित हो सकती हैं।

(अजय कुमार)

क्या है? कृषक उपज व्यापार तथा वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- इस अधिनियम में एपीएमसी मंडी परिसरों के बाहर के क्षेत्र को व्यापार क्षेत्र कहा गया है।
- कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो वह व्यापार क्षेत्र में किसी भी किसान अथवा किसी अन्य व्यापारी के साथ व्यापारिक लेन देन कर सकता है।
- किसी भी राज्य एपीएमसी अधिनियम या किसी अन्य राज्य कानून के तहत किसी भी किसान या व्यापारी से व्यापार क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य के लिये कोई बाजार शुल्क या उपकर नहीं लिया जायेगा।
- जहां तक किसान को भुगतान का सवाल है यह उसी दिन या अधिकतम तीन कार्य दिवसों के भितर किया जाना है।
- किसान को भुगतान सुनिश्चित करने के लिये यह प्रावधान है कि देय भुगतान राशि का उल्लेख करने वाली डिलीवरी की रसीद उसी दिन किसान को दी जायेगी।
- किसान को मूल्य वृद्धि और तदनुसार प्रीमीयम मूल्य भुगतान को ध्यान में रखते हुये एफपीओ और कृषि सहकारी समितियों के लिये अलग-अलग भुगतान तंत्र हो सकता है।
- एफपीओ सहकारिता समूह या कॉरपोरेट आदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और लेन देन प्लेटफॉर्म स्थापित और संचालित कर सकते हैं। इससे इ- ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बीच पारदर्शिता और प्रतिस्पर्द्धा को बढावा मिलेगा एवं किसान तकनी क का प्रयोग कर के अपनी उपज इलेक्ट्रानिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से घर बैठे देश में कहीं भी बेच सकते हैं।
- कृषक उपज के लिये मूल्य सूचना प्रणाली विकसित की जायेगी और रूपरेखा तैयार की जायेगी ताकि मूल्य सूचना विषमता को दूर किया जा सके और किसान को एक सही निर्णय लेने में मदद मिल सके।

विवाद समाधान किसानों के हित में

- नयी व्यवस्था में किसानों के हित का विशेष ध्यान रखा गया है। यदि उसका व्यापारी के साथ किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वे दोनों आपस में सुलह के माध्यम से विवाद निपटा उपखंड अधिकारी के माध्यम से एक सुलह बोर्ड स्थापित कराना है जो तीस दिन के अंदर विवाद को निपटायेंगे और फैसला दोनों पक्षों पर बराबर लागु होगा। यदि किसी कारण वश विवाद नहीं सुलझता है तो किसान तालुका/तहसील/उपखंड स्तर पर ही उपखंड प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं जो तीस दिन के अंदर विवाद का निबटान करेगा। उपखंड प्राधिकारी विवादाधीन रकम की वसूल एवं विवादग्रस्त व्यापारी को व्यापार कार्य को करने से अवरूद्ध करने का आदेश पारित कर सकेगा।
- इस अधिनियम के अंतर्गत यदि व्यापारी की गलती की दशा में सुलह बोर्ड में समाधान नहीं करता है तो विवाद उपखंड अधिकारी के स्तर पर निस्तारण होने को आता है तो किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाले किसी व्यापारी पर जुर्माना लगाया जायेगा। जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा तथापि उसे बढा कर पांच लाख रूपये किसा जा सकता है और इसका अनवरत उल्लंघन करने पर प्रतिदिन पांच हजार रूपये तक जुर्माना लगाया जायेगा।

कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिये विशिष्ट प्रावधान

- सरकार ने छह हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान करके किसान उत्पादक संगठनों यानि एफपीओ को बनाने की भी योजना लागु की हुयी है। जिसके माध्यम से छोटे एवं मझोले किसान एक साथ मिल कर नयी तकनीकों को अपना कर उत्पादकता बढाने के साथ- साथ अपनी उपज एफपीओ के माध्यम से अधिक मूल्य पर बेंच सकते हैं। ये एफपीओ किसानों की उपज का मूल्यवर्द्धन एवं प्रोसेसिंग करके अधिक मूल्य दिलाने में भी मददगार साबित होंगे। व्यापार क्षेत्र में व्यापार करने के लियसे कृष्क उत्पादन संगठनों (एफपीओ) अथवा कृषि सहकारी समितियों के लिये पैन कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है।
- एफपीओ और कृषि सहकारी समितियां भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और लेन देन प्लेफॉर्म स्थापित और संचालित कर सकती हैं।

एमएसपी खरीद जारी है और जारी रहेगी

- सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान भाइयों के लिये एमएसपी खरीद भारत सरकार की प्राथमिकता में जारी रहेगी। कृषि उपज की एमएसपी खरीद राज्य एजेंसियों के माध्यम से जारी रहेगी। इस नीति में कोई बदलाव नही हुआ है और राज्य एमएसपी केंद्र /उपकेंद्रो को प्राक्योरमेंट बिंदू घोषित कर सकता है।

एपीएमसी मंडियां प्रमुख विपणन चैनलों के रूप में काम करती रहेंगी

- इस किसान हितैषी अधिनियम से एपीएमसी मंडियों की व्यवस्था एवं उसके काम काज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि इससे हमारे देश के किसान भाइयों एवं बहनों को उनका अधिकार दिया गया है कि वो चाहें तो एपीएमसी मंडियों में जाके या एपीएमसी मंडियों के बाहर अपना कर देना चाहता हूं कि मंडी के बाहर नयी व्यवस्था में न तो किसी भी प्रकार का शुल्क कर या कमीशन लगेगा और न ही किसान और खरीददार के बीच में किसी भी प्रकार के बिचौलिये काम करेंगे।
- सरकार ने किसानों के लिये फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये एक लाख करोड़ रूपये का कृषि अवसंरचना कोश प्रारंभ किया है इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक समुदाय के द्वार पर बुनियादी ढांचा बनाने में मदद मिलेगी व कृषि वस्तुओं का मूल्यवर्द्धन होकर बेहतर मूल्य की प्राप्ति होगी। एफपीओ प्राथमिक कृषि कॉरपोरेटीव समितियों कृषि उद्यमी और स्टार्टअप्स भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

किसानों के लिये लाभ

- किसानों और विक्रेताओं को व्यापार क्षेत्र में खरीद एवं बिक्री करने के लिये विकल्प चुनने की स्वतंत्रता
- लेन देने की लागत समय और फसलोपरांत नुकसानों में कमी
- मध्यस्थता को कम करते हुये किसानों के साथ प्रसंस्करणकर्ताओं निर्यातकों संगठित खुदरा विक्रेताओं को जोड़ना।
- इस नये कानून के माध्यम से गांव एवं खेत खलिहान के नजदीक ही सीधी खरीद व्यवस्था होने के कारण प्रोसेसर्स निर्यातक एवं अन्य कृषि से संबंधित उद्योग धंधे स्थापित होंगे जिससे किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त कर आय में सुधार हेगा।
- एपीएमसी मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिये फार्म गेट कोल्डस्टोरेज वेयर हाउस, प्रसंस्करण इकाइयों आदि जैसे अतिरिक्त चैनलों का निर्माण।
- देश में प्रतिस्पर्द्धी डिजिटल व्यापार के जरियेव्यापर संबंधी लेन देन की पारदिर्शता में सुधार
- ग्रामीण युवाओं के लिये रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।

अगले अंक में कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम ,2020 की के प्रावधानों की जानकारी प्रकाशित की जायेगी

कछुओं के अंडे देने के मौसम में गोवा के समुद्री तटों से अतिक्रमण हटायें:एनजीटी

एजेंसियां

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने निर्देश दिया है कि कछुए के अंडे देने का मौसम शुरू होने से पहले, गोवा के समुद्र तटों में सभी अनधिकृत निर्माणों को हटा दिया जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कछुओं के अंडे देने के मौसम के दौरान समुद्र तटों को व्यवधान मुक्त रखा जाय।

कछुओं के अंडे देने का मौसम नवंबर-दिसंबर में शुरू होकर मार्च-अप्रैल तक जारी रहता है। यह आदेश 11 फरवरी, 2020 को गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) के आदेश के खिलाफ विक्टर फर्नांडीस द्वारा दायर एक याचिका के मद्देनजर आया था। जीसीजेडएमए का आदेश गोवा के आश्रम मंड्रेम के नो डेवलपमेंट जोन में मेसर्स राय रिज़ॉर्ट द्वारा निर्मित एक अवैध संरचना को तोड़ने से सबंधित है। इसके अलावा रिसॉर्ट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।एनजीटी ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि गोवा के कुछ समुद्र तटों को कछुओं द्वारा अंडे देने के लिए पसंद किया जाता हैं खासकर ओलिव रिडले कछुए इसमें शामिल हैं। इसलिए संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसे समुद्र तटों को व्यवधान मुक्त और पहले की स्थिति में बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इस तरह के समुद्र तटों में किसी भी संरचना, चाहे अस्थायी हो या स्थायी, को खड़ा नहीं किया जाना चाहिए और इन समुद्र तटों में किसी भी तरह की कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था या खाद्य पदार्थ, कूड़ा फेंकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।कृत्रिम रोशनी कछुओं को परेशान करती हैं क्योंकि वे बेहद संवेदनशील होते हैं। वे प्राकृतिक रोशनी और चंद्रमा की रोशनी में रहने के आदि होते हैं। समुद्र तटों पर कूड़ा नहीं होना चाहिए जो शिकारियों को आकर्षित कर सकता है।

आदेश में कहा गया है कि हैचिंग प्रक्रिया के दौरान कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। यदि कछुओं को परेशान किया जाएगा तो वे इन तटों पर अंडे देना बंद कर सकते है, इससे बचने के लिए कहा गया।

रेलवे सुरक्षा बल का 61 वीं राष्ट्रीय पुलिस संस्मरणीय दिवस मना

रांची : 21 अक्टूबर 2020 को रेलवे सुरक्षा बल, रांची मंडल द्वारा 61वीं राष्ट्रीय पुलिस संस्मरणीय दिवस के अवसर पर एक शोक परेड का आयोजन रेल सुरक्षा बल चौकी, हटिया के प्रांगण में आयोजित किया गया एवं पिछले 1 वर्ष के अंतर्गत **RPF/RPSF** के जिन अधिकारियों एवं जवानों ने ड्यूटी के दौरान शहादतें दी, उन सभी का नाम सम्मान के साथ पढ़ कर सुनाया गया एवं उन शहीदों के सम्मान में भावभिनीं श्रद्धा सुमन समर्पित कर शोक शास्त्र को सलामी दी गई।

फसल अवशेष जलाये नहीं खाद बनाये किसान

...पेज एक का शेष

दलहनी फसलों के अवशेष भी पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। फसल अवशेष का कम्पोस्ट खाद बनाने में उपयोग किया जा सकता है। फसल अवशेष जलाने से फसलों के जड़, तना, पत्तियों में संचित लाभदायक पोषक तत्वों का नष्ट होता है। मृदा ताप में बढ़ोत्तरी से मृदा के भौतिक, रसायनिक एवं जैविक दशा पर विपरीत प्रभाव तथा अवशेषों में मौजूद लाभदायक मित्र कीट जलकर मर जाते हैं। डॉ. राकेश बताते है कि फसल अवशेषों का उर्जा बनाने तथा अवशेष की गांठों को बायोमास प्लांट, बायोगैस प्लांट अथवा एथेनॉल प्लांट में बेचकर प्रति एकड़ 6 से 7 हजार रूपये अतिरिक्त कमाई हो सकती है। भट्ठी में प्रयोग करके बायोचार (एक प्रकार का कच्चा कोयला) का खाद के रूप में प्रयोग करके अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान फसल के अवशेष को जलायें नहीं, बल्कि मिट्टी स्वास्थ्य व

अधिक उपज के लिए अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर सड़ा दें।

अवश्य देखें सीएमपीडीआइ का भूविज्ञान संग्रहालय

संवाददाता

सीएमपीडीआई रांची का भूविज्ञान संग्रहालय- रांची शहर के एक कोने में ज्ञान और रूचि का एक छिपा हुआ खजाना है। यह ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित जानकारी और वस्तुओं का छोटा लेकिन उल्लेखनीय रूप से सुरूचिपूर्ण प्रदर्शन है। यह हमारी पृथ्वी के कई पहलुओं, धन, संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है।

सीएमपीडीआई मुख्यालय के भूतल में स्थित भूविज्ञान संग्रहालय वास्तव में अपनी सामग्री और प्रदर्शन में आकर्षक है और ज्ञान के सभी साधकों के लिए रूचि का स्रोत है। सीएमपीडीआई, एक बौद्धिक संगठन के रूप में एक ऐसा संग्रहालय स्थापित करने के लिए तैयार था जो सार्वजनिक हित के लिए समग्र जानकारी और ज्ञान की व्यापक पृष्ठभूमि के साथ-उचयसाथ खनन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करे। वर्ष 1991 के आसपास कोल इंडिया प्रबंधन ने इस प्रयास के लिए हरी -झंडी दी।

संग्रहालय का मूल डिजाइन एक इन-उचयहाउस आर्किटेक्ट के द्वारा तैयार किया गया था। इसके अनुमोदन के बाद प्रसिद्ध कलाकार और कार्यान्वयनकर्ता, आर0 ए0 दत्त, को प्रदर्शित किए जाने वाले वस्तुओं के निर्माण और इसकी

स्थापना के लिए विधिवत प्रक्रिया के द्वारा चयन किया गया था।

इस भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन जुलाई 1991 में किया गया था और यह 1400 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड की रचना के साथ शुरू होता है। इसमें लगभग 450 करोड़ साल पहले के सौर मंडल और हमारे ग्रह पृथ्वी का निर्माण भी शामिल है। इस संग्रहालय में ये और कई अन्य मॉडल और डायोरमास एनिमेटेड हैं और आगंतुकों के लिए रूचिकर बनाते है। इसमें ज्वालामुखियों, महासागर, पृथ्वी पर जीवन के आगमन और इसके विकास की कहानियों को बताया गया है। कई दुर्लभ और वास्तविक नमूने जैसे शंख, जीवाश्म, डायनासोर की हड्डियों, भूवैज्ञानिक खजाने, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल और रत्न शामिल हैं जिसे यहां प्रदर्शित किया गया है। जलीय क्रिया के कारण चूना पत्थर प्रदेशों में निर्मित भू-आकृतियां जो कार्स्ट लैंडफार्म है, को भी दर्शाया गया है। इसमें स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट भी शामिल हैं। इस संग्रहालय में पेड़ों के पेट्रीफाइड (पाषाणकृत) तना के नमूने भी संग्रहित है। मनुष्य का विकास और गुफाओं में आदमी कैसे रहते थे, को मॉडल के माध्यम से दर्शाया गया है। पृथ्वी का क्रॉस-सैक्शन, समुद्र की सतह से पेट्रोलियम का निष्कर्षण और इसके शोधन जैसे भूवैज्ञानिक अभिरूचि वाली वस्तुओं को दिखलाया गया है। एक दिलचस्प मॉडल चंद्रमा पर लूनर मॉडयूल की लैंडिंग को भी दर्शाया गया है। इस समान्य प्रदर्शन के बाद एक विशिष्ट गैलरी है जो कोयला खनन से संबंधित प्रदर्शनों के लिए समर्पित है। विभिन्न प्रकार के कोयले के नमूने उनका तकनीक गुण और ग्रेड के साथ दिखलाया गया है। एक बड़ा मॉडल एक विशिष्ट भूमिगत कोयला खदान और इससे संबंधित गतिविधियों की सम्पूर्ण जानकारी देता है।

यंत्रीकृत खुली खदान खान और सीबीएम के उपयोग तथा इसे निकालने का एक अद्भुज वर्किंग मॉडल है जो सीएमपीडीआई के घरेलु (इन-हाउस) तकनीशियन द्वारा तैयार किए गए हैं जिसमें वास्तव में चलने वाली सभी मशीनों और वाहनों को दर्शाया गया है।

अंत में, ऐतिहासिक लौह-कैप्सूल है जिसका उपयोग 1989 में महावीर कोलियरी दुर्घटना में फंसे खनिकों के जीवन को बचाने के लिए किया गया था। इस प्रकार भू-विज्ञान संग्रहालय सूचना, अभिरूचि और शिक्षा की खान है। सीएमपीडीआई ने अब विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि हेतु विद्यालय प्रबंधन को पत्र लिखकर अनुमति लेने का प्रवाधान किया है। इसके बाद इस नायाब म्यूजियम को देख सकते हैं।

एवं क्वीज प्रतियोगिता: 27 अक्टूबर तक निबंधन करने की अंतिम तिथि

सीएमपीडीआई में ऑनलाइन चित्रकला का आयोजन

रांची : केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड द्वारा हर वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली, सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020 के निर्देशों के अनुसार सीएमपीडीआई में दिनांक 27 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2020 तक मनाया जाएगा। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय **"सतर्क भारत-समृद्ध भारत"** है। इस वर्ष कोविड-19 के कारण सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा रहा है। इस मौके पर सीएमपीडीआई के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री सुमीत कुमार सिन्हा ने प्रतियोगिता के पोस्टर और वेबसाइट का विमोचन किया। इस अवसर पर संस्थान के महाप्रबंधक (सतर्कता) पुष्कर, संजय कुमार ठाकुर, अमरेश कुमार, श्रीमती ऋतु सिंह सहित कलाकृति आर्ट फाउंडेशन के सचिव धनंजय कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे।

इस प्रतियोगिता के अंतर्गत वर्ग 8 से 12 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन चित्रकला (2 नवम्बर, 2020) एवं क्विज (3 नवम्बर, 2020) का आयोजन किया जायेगा। इस प्रतियोगिता में रांची के किसी भी स्कूल के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। जो कोई भी छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक है, वे अपना रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर, 2020 तक उपर्युक्त प्रतियोगिता के निमित्त सृजित वेबसाइट ूणसांतपजपेवंण्बवउध्बउचकपअू2020 में ऑनलाइन फॉर्म भर कर अपनी भागीदारी निश्चित करा सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन कलाकृति आर्ट फाउंडेशन, रांची के माध्यम से किया जा रहा है और वे कार्यक्रम के बारे में सभी आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करेंगे। प्रतियोगिता पूर्णतः निशुल्क है। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप नकद राशि प्रदान की जाएगी। प्रथम पुरस्कार -2500/-रू0, द्वितीय पुरस्कार-2000/-रू0 तथा तृतीय पुरस्कार की राशि 1500/-रूपये है। साथ ही साथ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्रों को प्रमाण पत्र एवं टीशर्ट प्रदान की जाएगी।

फोटो न्यूज

कांके डैम पहुंचे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर

रांची : 23 अक्टूबर को कांके डैम बचाओ संरक्षण समिति के सदस्यों की मांगों को सुनने और उनसे वार्ता के लिये झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर कांके डैम के नवासोसो फुटबॉल मैदान में पहुंचे। समिति के सदस्यों की मांगों को सुनने और उन्हें पूरा करने का आश्वासन देने के बाद मिथिलेश ठाकुर अपने साथ आयी टीम के साथ डैम का मुआयना करने लगे। उनके साथ हेहल अंचल के सीओ, नगर निगम के कई पदाधिकारी भी थे। मिथिलेश ठाकुर ने डैम का देखने के बाद कहा कि छठ महापर्व से पहले हम इसकी साफ सफाइ करवा दे रहे हैं। इसके बाद डैम को अतिक्रमणमुक्त भी कराना है। डैम में मछली पालन की अच्छी संभावना है और मैं प्रयास करूंगा कि पछली पालन का अधिकार इस डैम के निर्माण में जमीन देने वाले आस पास के 12 गावों के रैयतों के परिवारों और मछुआरों को ही मिले। इन सबके बीच मंत्री मिथिलेश ठाकुर के लिये कांके रोड एवं रातू रोड के कटहल गोंढा, सरोवर नगर, इंद्रपुरी जैसे इलाकों से अतिक्रमण हटाकर डैम में बहने वाले गंदे नालों को रोकना बड़ी चुनौती होगी।

सही खाद्य तेलों का चयन कैसे करें?

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

कौन सा तेल सबसे फायदेमंद है ?ये एक ऐसा सवाल है जिसके कई जवाब है, मतलब भिन्न -भिन्न लोगों के लिए है भिन्न-भिन्न जवाब । कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ऑलिव ऑयल खाओ,कुछ रिफाइंड ऑयल की सलाह देते हैं ,और कुछ बोलते हैं कि राइस ब्रैन ऑयल खाएं ।कभी -कभी हम भ्रमित हो जाते हैं कि अब खायें क्या?

पहले ये देखते हैं कि तेल खाना जरूरी है क्या? क्या ये सिर्फ व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाता है?

मानव शरीर भी एक मशीन की तरह ही है ,जैसे सारे मशीनों को ऑइलिंग की जरूरत होती है ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी ऑइलिंग चाहिए ।शरीर के लिए कुछ अच्छे फैट की जरूरत होती है और खाने के तेल में अच्छे फैट होते है, परन्तु इसको उचित मात्रा मे इस्तेमाल करना चाहिए।अत्यधिक मात्रा में तेल का प्रयोग वज़न बढ़ाने के साथ साथ कई बिमारियों को नेवता देता है। चलिए अब अपने सवाल की ओर चलते है कि कौन सा तेल सबसे फायदेमंद होता है ?दिल्ली वाली मौसी के लिए अलग तेल और मुंबई वाले मामा के लिए अलग। मतलब हम जिस प्रदेश में रहते है उस प्रदेश के मौसम के हिसाब से हमें तेल का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई पंजाब में रहता है तो उसके लिए सरसों का तेल उत्तम है और अगर कोई मुंबई में रहता है तो उसके लिए मूंगफली का तेल। हर प्रान्त के अनुसार वहां की खेती भी अलग होती हैं और उसी खेती के उपज के अनुसार तेल का चयन करना चाहिए।

अब बात करते है रिफाइंड तेल की

आजकल रिफाइंड तेल का काफी प्रचलन है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको बनाने की प्रक्रिया में इसके सारे वास्तविक गुण चले जाते हैं और इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं रहता है।

किस प्रकार का तेल इस्तेमाल करना चाहिए

कच्ची धानी का तेल का प्रयोग करना ही सबसे उपयुक्त है। "चक्की या धानी में पारम्परिक तरीके से बनाये जाने वाले तेल को ही कच्ची धानी तेल कहते हैं।"इस तेल को पहले कोल्हू के द्वारा तैयार किया जाता था, परन्तु आज कल मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा बनाये गये तेल में पोषक तत्व रहते हैं परन्तु जब इसे रिफाइंड किया जाता है तो वो खत्म हो जाते है।

हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम शुद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए जो रिफाइंड न हो और हमारे प्रदेश अनुसार करना चाहिए।

हमसे जुड़े.रहने के लिए (इंस्टाग्राम)
instagram **पर फ़ॉलो करें**
ritusinghfitness.

वायु प्रदूषण बढ़ता है प्लास्टिक का कचरा

पीएम2.5 प्रदूषण और खाद्य वितरण खपत के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित किया। मौसमी प्रभावों के लिए, फर्म की ऑर्डर बुक से पता चला है कि पीएम 2.5 में 100 ग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि से खाद्य वितरण की खपत में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कार्यालय के कर्मचारियों ने डिलीवरी का ऑर्डर तब अधिक दिया जब, 100 ग्राम प्रति घन मीटर पीएम 2.5 का प्रभाव छह गुना आधिक, जो 43 प्रतिशत था।

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस) के शोधकर्ताओं ने प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर मानव व्यवहार संबंधी एक अध्ययन किया है। अध्ययन के अनुसार, जब बाहर की हवा खराब होती है तो कार्यालय के कर्मचारियों को दोपहर के भोजन के लिए बाहर जाने की तुलना में भोजन मंगवाने की अधिक संभावना होती है। यह भोजन प्लास्टिक के डिब्बों द्वारा पहुंचाया जाता है। इन डिब्बों को खाना खाने के बाद फेंक दिया जाता है। जो प्लास्टिक प्रदूषण का कारण बन जाता है। यह अध्ययन करने वाले अल्बर्टो सालवो का कहना है कि वातावरण में प्लास्टिक प्रदूषण को फैलाने वाले मानव व्यवहार को समझने की कोशिश कभी नहीं हुई है। इसमें हमारा अध्ययन मदद कर सकता है। हमारा उद्देश्य ऑनलाइन खाना मंगवाने, वायु प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे को एक कड़ी के रूप में जोड़ता है। विकासशील देशों में बढ़ते शहरीकरण के कारण वायु गुणवत्ता पिछले एक दशक से नियमित रूप से खराब होती जा रही है, जबकि खाद्य वितरण उद्योग तेजी से बढ़ रहा है।

पीएम 2.5 में 100 ग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि ने प्लास्टिक उपयोग को औसतन 10 ग्राम बढ़ा दिया।

सोनीपत में मानसून के कारण नहीं किया जा रहा था खननः एचएसपीसीबी

एजेंसियां

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने एनजीटी को जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जानकारी दी है कि सोनीपत जिले के गांव तिकोला, मुरथल में किसी तरह का खनन नहीं हो रहा है मानसून के कारण वहां पर सभी खनन गतिविधियां बंद हैं।

गौरतलब है कि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह रिपोर्ट एनजीटी के आदेश पर जारी की गई है एनजीटी द्वारा यह आदेश मेसर्स ड-ीएसपी एसोसिएट्स, सोनीपत द्वारा बनाए जा रहे एक अस्थायी पुल के मामले में दिया गया है, जिसका निर्माण खनन के लिए किया जा रहा थो इस पल के निर्माण में पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन भी किया गया है। इस मामले में मैसर्स डीएसपी एसोसिएट्स को हरियाणा के खनन और भूविज्ञान विभाग द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी किया गया था। इसके साथ ही इस यूनिट ने तिकोला की रेत खदानों से रेत खनन के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी भी प्राप्त की हुई है। इस मामले में मैसर्स डीएसपी एसोसिएट्स को हरियाणा के खनन और भूविज्ञान विभाग द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी किया गया था। इसके साथ ही इस यूनिट ने तिकोला की रेत खदानों से रेत खनन के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी भी प्राप्त की हुई है। जब जांच टीम ने टिकोला में रेत खनन यूनिट का निरिक्षण किया तो यह देखा गया कि वहां मानसून के कारण खनन कार्य नहीं किया जा रहा था। साथ ही यमुना नदी का पानी नदी तल से होता हुआ बह रहा था। न ही नदी के प्राकृतिक प्रवाह में रूकावट पैदा करने के लिए किसी तरह के बांध का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि इस यूनिट ने खनिजों के परिवहन के लिए एक अलग सड़क का निर्माण किया था और वो सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित नदी तटबंध का उपयोग नहीं कर रहा था।

मध्यप्रदेशः निजी कंपनियां कितना जंगल लगायेंगी ?

एजेंसियां

मध्यप्रदेश सरकार ने बिगड़े वन क्षेत्र को दोबारा से घने जंगल में तब्दील करने के लिए निजी कंपनियों से हाथ मिलाने का निर्णय लिया है। यहां जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, राज्य के जंगलों की परिस्थितिकी में सुधार करने और आदिवासियों की आजीविका को सुदृढ़ करने के नाम पर राज्य के कुल 94,689 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र में से 37,420 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को निजी कंपनियों को देने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में मध्यप्रदेश के सतपुड़ा भवन स्थित मुख्य प्रधान वन संरक्षक द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। इस संबंध में भोपाल के पर्यावरणविद सुभाष पांडे ने बताया कि ''राज्य के आधे से अधिक बिगड़े वन क्षेत्र को सुधारने के लिए जंगलों की जिस क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है, वास्तव में वहां आदिवासियों के घर-द्वार, खेत और चारागाह हैं। इसे राज्य सरकार बिगड़े वन क्षेत्र की संज्ञा दे कर निजी क्षेत्रों को सौंपने जा रही है''।

ध्यान रहे कि इस प्रकार के बिगड़े जंगलों को सुधारने के लिए राज्य भर के जंगलों में स्थित गांवों में बकायदा वन ग्राम समितियां बनी हुई हैं और इसके लिए वन विभाग के पास बजट का भी प्रावधान है। इस संबंध में राज्य के वन विभाग के पूर्व सब डिविजन ऑफिसर संतदास तिवारी ने बताया कि जहां आदिवासी रहते हैं तो उनके निस्तार की जमीन या उनके घर के आसपास तो हर हाल में जंगल नहीं होगा। आखिर आप अपने घर के आसपास तो जंगल या पेड़ों को साफ करेंगे और मवेशियों के लिए चारागाह भी बनाएंगे। अब सरकार इसे ही बिगड़े हुए जंगल बताकर अधिग्रहण करने की तैयारी है। जबकि राज्य सरकार का तर्क है कि बिगड़े हुए जंगल को ठीक करके यानी जंगलों को सघन बना कर ही जलवायु परिवर्तन और परिस्थितिकीय तंत्र में सुधार संभव है।

इस संबंध में मध्यप्रदेश में वन क्षेत्रों पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ता राजकुमार सिन्हां ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार ने 37 लाख हैक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्रों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप (पीपीपी) मोड पर निजी कंपनियों को देने का निर्णय लिया है। वह कहते हैं कि यह कौन सा वन क्षेत्र है? इसे जानने और समझने की जरूरत है। प्रदेश के कुल 52,739 गांवों में से 22,600 गांव या तो जंगल में बसे हैं या फिर जंगलों की सीमा से सटे हुए हैं।

मध्यप्रदेश के जंगल का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित वन है और दूसरा बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सेंचुरी आदि के रूप में जाना जाता है। शेष क्षेत्र को बिगड़े वन या संरक्षित वन कहा जाता है। इस संरक्षित वन में स्थानीय लोगों के अधिकारों का दस्तावेजीकरण किया जाना है, अधिग्रहण नहीं। यह बिगड़े जंगल स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन हैं, जो जंगलों में बसे हैं और जिसका इस्तेमाल आदिवासी समुदाय अपनी जरूरतों के लिए करते हैं।

एक नवंबर, 1956 में मध्यप्रदेश के पुनर्गठन के समय राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल 442.841 लाख हैक्टेयर था, जिसमें से 172.460 लाख हैक्टेयर वनभूमि और 94.781 लाख हैक्टेयर सामुदायिक वनभूमि दर्ज थी। उक्त संरक्षित भूमि को वन विभाग ने अपने वर्किंग प्लान में शामिल कर लिया, जबकि इन जमीनों के बंटाईदारों, पट्टेधारियों या अतिक्रमणकारियों को हक दिए जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वन विभाग ने जिन भूमि को अनुपयुक्त पाया उसमें से कुछ भूमि 1966 में राजस्व विभाग को अधिक अन्न उपजाऊ योजना के तहत हस्तांतरित किया, वहीं अधिकतर अनुपयुक्त भूमि वन विभाग ने ''ग्राम वन'' के नाम पर अपने नियंत्रण में ही रखा।

भारत में ग्रीन रिकवरी ला सकती है जीडीपी में स्थायी बढ़त

एजेंसियां

भारत अगर कोविड की आर्थिक मार से निबटने और उबरने के प्रयासों में पर्यावरण अनुकूल कदम लेगा तो उसकी जीडीपी स्थायी रूप से बढ़ सकती है।

जी हाँ, केम्ब्रिज युनिवेर्सिटी से जुड़े तीन संस्थानों ने साझा प्रयास से एक रिपोर्ट जारी कर न सिर्फ़ यह कहा है कि पर्यावरण अनुकूल आर्थिक सुधार कदम एक आम रिकवरी स्टिमम्युल्स से बेहतर होते हैं, बल्कि भारत के केस में तो ग्रीन रिकवरी हमेशा के लिए भारत की जीडीपी को बढ़ा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में तो यह असर ऐसे होंगे कि 2030 तक कोविड के सभी बुरे असर हमारी अर्थव्यवस्था से हट जायेंगे।

कैंब्रिज इकोनोमेट्रिक्स द्वारा बनाई गयी और वी मीन बिज़नेस और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉर्पोरेट लीडर्स ग्रुप द्वारा साझा रूप से प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहाँ आम रिकवरी स्टिमम्युल्स पैकिज कोविड से पहले की स्थिति पर वापस ले जाने की बात करते हैं, वहीँ ग्रीन रिकवरी हमेशा के लिए सकारात्मक बदलाव का वादा करती है। आर्थिक रिकवरी के लिए इस रिपोर्ट में दो रास्ते बताये गए हैं। पहला है टैक्स में कटौती कर उपभोक्ता को अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करना और दूसरा है टैक्स कटौती के साथ पाँच पर्यावरण अनुकूल कदम। यह पांच कदम हैं एनेर्जी एफिशिएंसी, बिजली की ग्रेड में सुधार, सौर और पवन ऊर्जा पर सब्सिडी, बैटरी वाहनों पर सब्सिडी और पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के निस्तारण की स्कीम, और पौधारोपण का वृहद कार्यक्रम।

रिपोर्ट से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीन रिकवरी के कदम न सिर्फ़ लम्बे समय में फायदा देते हैं, उनके सकारात्मक असर तत्काल भी देखने को मिलेंगे।

भारत पर विशेष टिपण्णी करते हुए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिक्री कर में कटौती वाला तरीका हो या उस कटौती के साथ पर्यावरण अनुकूल कदम लेना हो-दोनों ही सूरत में तत्काल प्रभाव अगले साल देखने को मिलेंगे, लेकिन ग्रीन रिकवरी का रास्ता अगर अपनाया जाता है तो जीडीपी में 2030 तक स्थायी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और यह कोविड के असर को हमेशा के लिए मिटा देगी। आगे बताया गया है कि जीडीपी (79%) और रोजगार (64%) दोनों में सबसे बड़ा योगदान बैट्री वाहनों को बढ़ावा देने और पुराने वाहनों के निस्तारण से होगा। वहीँ वृक्षारोपण कार्यक्रम अतिरिक्त जीडीपी में 10% और रोजगार में 27% की बढ़ोतरी करेगा। अब क्योंकि भारत में कोयले पर निर्भरता काफ़ी है इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उतना असर नहीं होगा जितना एनेर्जी एफिशिएंसी और रेन्युब्ल एनेर्जी सब्सिडी से हो सकता है।

निष्कर्षों पर टिप्पणी करते हुए, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (ळएचक्क) के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर ने कहा, ''इस रिपोर्ट के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि ऊर्जा के विकास में तेजी लाने वाली हरित वित्त समर्थक नीतियां भारत के विकास के लिए अच्छी हैं। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और पुनर्वितरण का समर्थन स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। शुक्र है कि भारत स-रकार पहले ही कदम उठा रही है। हालांकि, सीमित और ख़त्म होते घरेलू राजकोषीय भंडार को देखते हुए, सवाल अब यह होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस तरह की ग्रीन रिकवरी को संभव करने के लिए कैसे मदद कर सकता है।

भारत में अब जल की बर्बादी और दुरूपयोग एक आपराधिक कृत्य

एजेंसियां

जल शक्ति मंत्रालय के अधीन सीजीडब्लयूए ने देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ नागरिकों को पहली बार यह आदेश जारी किया है। अब देश में कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी (पोटेबल वाटर) का दुरूपयोग या बर्बादी करता है तो यह एक दंडात्मक कृत्य माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगह-जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती है।

देश में प्रत्येक दिन 4,84,20,000 करोड़ घन मीटर यानी एक लीटर वाली 48.42 अरब बोतलों जितना पानी बर्बाद हो जाता है, जबकि इसी देश में करीब 16 करोड़ लोगों को साफ और ताजा पानी नहीं मिलता। वहीं, 60 करोड़ लोग जलसंकट से जूझ रहे हैं।

सीजीडब्ल्यूए ने पानी की बर्बादी और बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 08 अक्तूबर, 2020 को पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 की धारा पांच की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्राधिकरणों और देश के सभी लोगों को संबोधित करते हुए दो बिंदु वाले अपने आदेश में कहा है :

इस आदेश के जारी होने की तारीख से संबंधित नागरिक निकाय जो कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पानी आपूर्ति नेटवर्क को संभालती हैं और जिन्हें जल बोर्ड, जल निगम, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, पंचायत या किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाता है, वो यह सुनिश्चित करेंगी कि भूजल से हासिल होने वाले पोटेबल वाटर यानी पीने योग्य पानी की बर्बादी और उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होगा। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेंगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे।

देश में कोई भी व्यक्ति भू-जल स्रोत से हासिल पोटेबल वाटर का गलत उपयोग या बर्बादी नहीं कर सकता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजेंद्र त्यागी और गैर सरकारी संस्था फ्रैंड्स की ओर से बीते वर्ष 24 जुलाई, 2019 को पानी की बर्बादी पर रोक लाने की मांग वाली याचिका पर पहली बार सुनवाई की थी। इसी मामले में करीब एक बरस से ज्यादा समय के बाद 15 अक्तूबर, 2020 के एनजीटी के आदेश का अनुपालन करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने आदेश जारी किया है।

एनजीटी में याचिकाकर्ताओं की ओर से कानूनी पक्ष रखने वाले अधिवक्ता आकाश वशिष्ट ने कहा कि देश में भू-जल संरक्षण के लिए सीजीडब्ल्यूए का यह आदेश एक ऐतिहासिक कदम है। हमने यह मुद्दा एनजीटी में बीते वर्ष उठाया था, इसके बाद अब यह मामला सही दिशा में बढ़ चुका है। अभी तक आवासीय और व्यावसायिक आवासों से ही नहीं बल्कि कई पानी आपूर्ति करने वाले सरकारी टैंकों से भू-जल दोहन के जरिए निकाला गया पीने योग्य पानी (पोटेबल वाटर) बर्बाद होता रहता है। किसी तरह का प्रावधान न होने से पानी बर्बाद करने वाली संस्थाएं व व्यक्ति को इस बात के लिए दंडित भी नहीं किया जा सकता था।

साफ पानी की बर्बादी और बेजा इस्तेमाल पर दंडात्मक आदेश के जारी करने और केंद्रीय मंत्रालयों व राज्यों से समयबद्ध कार्य योजना मिलने के आश्वासन के बाद एनजीटी ने 31 अगस्त, 2020 को मामले का निस्तारण कर दिया था। वहीं, इससे पहले 15 अक्तूबर, 2019 को एनजीटी में राजेंद्र त्यागी और फ्रैंड्स संस्था का यह मामला जब एनजीटी ने सुना तो पाया था कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और दिल्ली जल बोर्ड के जवाबों में पानी की बर्बादी और बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई प्रभावी नीति का जिक्र नहीं किया गया है। एनजीटी ने कहा था प्राधिकरणों के जवाबी हलफनामे बेहद सामान्य और बेकार हैं। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखने के बजाए एक समयबद्ध कार्ययोजना और निगरानी के साथ दंडात्मक प्रावधानों वाली प्रभावी कार्रवाई योजना बनाई जानी चाहिए।

एनजीटी ने कहा था कि "पर्यावरण कानून का पालन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों से बटोरी गई टोकन मनी की रिकवरी भर से नहीं हो जाता है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का कोई विकल्प नहीं है।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।